

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता उदय सुन्डी, पिता- स्व० जम्बीरा सुन्डी, निवासी ग्राम- नरसन्डा, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- नरसन्डा, थाना नं०- 649 के अन्दर खाता नं०- 304, प्लॉट नं०- 4641, रकवा- 0.06% एकड़ भूमि क्रेता सरिता तियु, पति- साधु चरण तियु, निवासी ग्राम- दोपाई, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि खतियान में आवेदक के पिता के नाम पर दर्ज है। पिता के मृत्यु पश्चात् आपसी बांटवारे में प्राप्त भूमि है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 21, दिनांक- 05.01.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चिकित्सा एवं घरेलु कार्य हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता सरिता तियु, पति- साधु चरण तियु, निवासी ग्राम- दोपाई, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास 5,00,000.00/- (पांच लाख रुपये) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.25 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति समुचित है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता उदय सुन्डी, पिता- स्व० जम्बीरा सुन्डी, निवासी ग्राम- नरसन्डा, थाना- मुफसिल, क्रेता सरिता तियु, पति- साधु चरण तियु, निवासी ग्राम- दोपाई, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास जमीन को कुल 5,00,000.00/- (पांच लाख रुपये) में मौजा- नरसन्डा, थाना नं०- 649 के अन्दर खाता नं०- 304, प्लॉट नं०- 4641, रकवा- 0.06% एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।</p>	

लेखापित  
15-01-2019

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।

स्वीकृति  
15-01-2019

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।